**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) और (ख). सरकार ने इस्पात, खान और धातु मंत्रालय (लोहा और इस्पात विभाग) के तारीख 10 मई, 1968 के संकल्प संख्या एस० सी० II–14(3)/68 द्वारा, जो सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है, सरकार समिति की सिफारिशों के अनुसार श्री ए० एस० वाम और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया है। इस काम के लिये एक सीनियर अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है।

**रेलवे कर्मचारियों की शियायतें**

394. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री रेलवे कर्मचारियों को दिये जाने वाले पास/पी० टी० ओ० की रियायतों में कमी करने के बारे में 26 मार्च, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों पर उनके मंत्रालय ने क्या निर्णय किया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हां।

(ख) प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई से समिति को सूचित कर दिया गया है।

**ऐनकों के लिये शीशों का निर्माण**

395. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की कार्ल जेज कम्पनी ने ऐनकें बनाने के लिये अपेक्षित शीशा बनाने में सहयोग देने के अपने प्रस्ताव को वापिस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने अगस्त, 1964 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अन्तर्गत मैसर्स कार्लजीज़ जेना, जर्मनी के लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सहयोग से कुछ वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण करने के लिए जिनमें चश्मों के यंत्र भी शामिल हैं, सरकारी सूक्ष्म यंत्र कारखाना, लखनऊ के प्रस्ताव के लिए सिद्धांत रूप में सहमति दे दी थी। राज्य सरकार को 1965 में सहयोग की शर्तें कुछ रूप-भेद करने के लिए भेज दी गई थीं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाद में इस मंत्रालय को सूचित किया कि वह अवमूल्यन के कारण जिससे परियोजना की लागत तथा तकनीकी जानकारी परिश्रमिक में वृद्धि हो जाने से सहयोग करार को अंतिम रूप नहीं दे सकी है। सितम्बर, 1967 में राज्य सरकार ने यह बताया कि सहयोगी ने सहयोग का अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया है। अंततोगत्वा इस सम्बन्ध में दी गई स्वीकृति मार्च, 1968 में रद्द कर दी गई थी।

**निकल का आयात**

396. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 9111 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस ने निकल के क्या दाम बताये हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो निकल का आयात मूल्य क्या है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) सोवियत प्राधिकारियों ने भारत को 1968 के वर्ष में 400 मैट्रिक टन निकल—207 मैट्रिक टन

कैथोड़ के रूप में और बाकी 193 मैट्रिक टन कणों के रूप में देना स्वीकार किया था। रूसियों ने कैथोड़ के लिये 28,538 रुपये प्रति मैट्रिक टन (लागत–बीमा–भाड़ा सहित) और कणों के लिये 27,400 रुपये प्रति मैट्रिक टन (लागत–बीमा–भाड़ा सहित) का अन्तिम दाम बताया है। एलाय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर को, जिन के कहने पर, सोवियत प्राधिकारियों तक निकल की प्रदाय के लिये पहुंच की गई थी, कणों की विशिष्टियों को अपनी आवश्यकता के लिये तकनीकी रूप से उपयुक्त न पाया और केवल 207 मैट्रिक टन निकल कैथोड खरीदने की इच्छा प्रकट की। सोवियत व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा निकल कैथोड का बताया गया मूल्य एलाय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर को स्वीकार नहीं। अतः अभी तक किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड ने 27,400 रुपये प्रति मैट्रिक टन (लागत–बीमा–भाड़ा सहित) की दर से 100 मैट्रिक टन निकल कणों के लिये, सोवियत संभरकों को 18 जुलाई 1968 को एक आर्डर दिया। सरकार बकाया 300 मैट्रिक टन सोवियत निकल को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य क्रेताओं को, जो इनकी विशिष्टियों और मूल्य को अपनी आवश्यकताओं के उपयुक्त समझते हों, आवंटित करने की सम्भावनाओं की खोज कर रही है।

(ख) इस संबंध में दो सरकारों के मध्य किसी करार किये जाने का प्रश्न नहीं है। संविदा भारतीय—सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के—क्रेताओं और सोवियत संभरकों के मध्य होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Rail Link between Dalli-Rajahara and Dantewara**

397. SHRI MANIBHAI J. PATEL:
SHRI LAKHAN LAL GUPTA:
SHRI A. S. SAIGAL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether he assured the Members of Parliament on the 2nd May, 1968 that a meeting between a senior Officer of the Railway Board and M.Ps. would be arranged to discuss the salient points of the feasibility report on rail link between Dalli-Rajahara and Dantewara in Bastar District;

(b) whether a decision was also taken that the officer of the Railway Board would thereafter hold a detailed discussion in this connection with the Government of Madhya Pradesh;

(c) whether these discussions have been held and if so, the results thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). Yes.

(c) and (d). Further data for the discussions had to be collected. These have since been completed and necessary arrangements are now being made for the discussions.

**Increase in the Price of Coal**

398. SHRI MANIBHAI J. PATEL: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have agreed to an increase in the price of coal at their meeting held on the 28th June, 1968 with the coal industrialists;

(b) if so, the extent of increase made in the price;

(c) whether the price of coal meant for domestic consumption will also be increased; and

(d) if so, by how much?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). The Railways have agreed to price increases of Rs. 2 per tonne for Selected grades and Re. 1 per tonne for Grade I coals. As regards coking coals supplied to steel plants, coal washeries and cokeries a price